

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

\* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-24/01/2020

विषय:- नगरपालिका आम निर्वाचन, 2019 को सम्पन्न कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कुल राशि ₹18.84 लाख (अठारह लाख चौरासी हजार रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

जिला पंचायत पदाधिकारी समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक- 665, दिनांक- 16.12.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत- पकड़ीदयाल एवं केसरिया में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2019 दिनांक- 14.07.2019 को सम्पन्न हुए हैं। उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने से संबंधित विपत्रों के भुगतान हेतु कुल राशि ₹18.84 लाख (अठारह लाख चौरासी हजार रु०) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2019 को सम्पन्न कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए निम्न तालिका के स्तम्भ- 04 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹18.84 लाख (अठारह लाख चौरासी हजार रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	18.84000	18.84000
	कुल योग	18.84000	18.84000

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹18.84 लाख (अठारह लाख चौरासी हजार रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से राशि आवंटित किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि ₹18.84 लाख (अठारह लाख चौरासी हजार रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष- 00-लघु शीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0001-नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष-0001.13.01- कार्यालय व्यय, विपत्र कोड सं०- 48-2015001090001 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

4. उपरोक्त तालिका के स्तम्भ- 4 में स्वीकृत कुल राशि ₹18.84 लाख (अठारह लाख चौरासी हजार रु०) मात्र की निकासी, जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा निर्वाचन कार्य से संबंधित प्राप्त विपत्रों के विरुद्ध BTC-25 में की जाएगी। राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256,

दिनांक- 26.02.2019 एवं पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी।

5. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदनोपरांत भुगतान किया जाएगा।
6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
7. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.20 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/निर्वा०-22-01/2017 के पृष्ठ सं०- 46...../टि० पर दिनांक- 21.1.20..... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 47...../टि० पर दिनांक- 23.1.20..... को प्राप्त है।
9. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/निर्वा०-22-01/2017 201 /न०वि०एवंआ०वि० /पटना, दिनांक-24/01/2020  
प्रतिलिपि:- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/वित्त (बजट शाखा), विभाग/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकार, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

सरकार के विशेष सचिव।